रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/ CHAITRA 12, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

सा. का. नि. 280(अ.).— केंन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हता आदि** –उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता** –वह व्यक्ति,–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

   (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

   वह उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

5. **चिकित्सा मानक** –

(1) वह व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्ति चाहता है, उसे इन नियमों के तहत शेप–1 चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

(2) उप–नियम (1) के प्रयोजन के लिए, "शेप–1 से तात्पर्य उस चिकित्सा प्रवर्ग से है जो गृह मंत्रालय अथवा संबंधित बलों द्वारा समय–सयम पर जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित किए जाएंगे, अर्थात्, **एस**– मनोवैज्ञानिक समस्याएं, **एच**– श्रव्य (कान संबंधी) बीमारियां, **ए**– उपरी अथवा निचले अंगों अर्थात् भुजा और पैर की समस्याओं से संबंधित उपांग,**पी**– हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप), कारडियक (दिल) संबंधी बीमारियां, मधुमेह (शुगर की अधिक मात्रा) मोटापा (मोटा होना – अत्यधिक शारीरिक भार), कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित कारक और **ई**– दृष्टि अथवा आंख से संबंधित बीमारियां।

6. **गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता** –

(1) किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नहीं की जाएगी ।

(2) परंतु इसमें निहित कोई भी नियम इस बल में नियुक्ति अथवा नियोजन के लिए नेपाल अथवा भूटान के नागरिक पर लागू नहीं होगा।

7. **अधिवर्षिता** –

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस महीने अपनी आयु के साठ वर्ष पूर्ण करेगा, वह उसी महीने के अंतिम दिन दोपहर पश्चात सेवा से सेवा निवृत हो जाएगा। परंतु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी महीने की पहली तारीख की है तो वह उससे पिछले महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा से सेवानिवृत हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवार्षिता पर सेवानिवृति की विनिर्दिष्ट आयु के पश्चात सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. **शिथिल करने की शक्ति** –जहां पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समिचीन है तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश पर शिथिल की जा सकती है ।

9. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछडे वर्गों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) रसोइया – 457 वाटर कैरियर– 196	1358* (2018) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	स्तर–4 (25500 – 81100 रु)	चयन पद	लागू नहीं होता

स्वीपर – 295 धोबी – 187 नाई – 137 मोची – 19 बढई –19 दर्जी –22 माली –10 पेंटर – 03 राजमिस्त्री – 03 इलेक्ट्रिशयन – 06 नलसाज – 02 स्विच बोर्ड परिचर अथवा चार्ज मैकेनिक –01 मोटर पंप परिचर – 01	परिवर्तन किया जा सकता है ।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं और प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परीवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धतिः– सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होती	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा ।
(11)
प्रोन्नति : रिक्तियों को, कांस्टेबल (ट्रेड्समेन) चिकित्सा श्रेणी ाप–1 उसी रैंक में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) से भरा जाएगा और जिसने प्रोन्नति के लिए ठीक घोषित किए जाने से पहले हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) का प्रोन्नति संवर्ग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि वे ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से ज्यादा अपेक्षित अर्हताओं अथवा पात्रता सेवा को पूरा करते हों अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पत्रता सेवा को पहले ही पूरा कर लिया है। **प्रतिनियुक्ति** : (क) केन्द्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) अथवा संबंधित ट्रेड में समतुल्य रैंक पर कार्य कर रहे कार्मिक; अथवा (ख) केन्द्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) अथवा संबंधित ट्रेड में समतुल्य रैंक पर कार्य कर रहे कार्मिक, जिन्होंने उक्त रैंक में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो; और (ग) कार्मिक को चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1 में होना चाहिए। **टिप्पण –1** : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण –2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले

धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** –3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह समिति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी । (i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कम से कम कमाण्डेन्ट स्तर का एक आफिसर – **अध्यक्ष;** (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अन्य कार्यालय अथवा इकाई से एक उप–कमाण्डेन्ट अथवा सहायक कमाण्डेन्ट अथवा चिकित्सा आफिसर – **सदस्य;** (iii) इकाई अथवा कार्यालय का सहायक कमाण्डेन्ट – **सदस्य।**	लागू नहीं होता

[सं. ई.–32013/02/2018/स्थापना– I]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2019

G.S.R. 280(E).—In exercise of powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Tradesmen) in the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, namely :-

1. **Short title and Commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Security Wing, Head Constable (Tradesmen), Group 'C' post, Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix-** The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Standards.-** (1) The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-1 medical standards.

(2) For the purposes of sub-rule (1), "SHAPE-I" shall mean the medical category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, **S** – Psychiatric problems, **H** – Hearing (Ear diseases), **A** – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, **P** - Factor is related to other disease like Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer, etc. and **E** – Eye sight or Eye diseases.

6. **Ineligibility of aliens.** – No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. **Superannuation.** – (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

8. **Power to Relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Head Constable (Tradesmen) - Cook - 457 Water Carrier - 196 Sweeper - 295 Washer-man - 187 Barber - 137 Boot-Maker - 19 Carpenter - 19 Tailor - 22 Mali - 10 Painter - 03 Mason - 03 Electrician - 06	**1358*** (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Level-4 (Rs.25500-81100/-).	Selection post.	Not applicable.

Plumber - 02 Switch Board Attendant or Charge Mechanic - 01 Motor Pump Attendant - 01					

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by Promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion:- From amongst the Constables (Tradesmen) who have completed five years of regular service in the rank of Constable (Tradesmen) in the respective trades, being in medical category SHAPE-I and have successfully qualified the promotion cadre course of Head Constable/Tradesmen before being declared fit for promotion. **Note-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** (a) Personnel of the rank of Head Constable (Tradesmen) or equivalent ranks in the respective trades, in the Central Police Organisations or State Police Organisations; or (b) Personnel holding the rank of Constable(Tradesmen) or equivalent rank in the respective trades, in the Central or State Police Organisation, who have completed Five years regular service in the said rank; and (c) Personnel should be in medical category SHAPE – I. **Note 1: -** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2: -** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years and in no case shall exceed five years. **Note 3: -** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exist, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) An officer of the Central Industrial Security Force not below the rank of Commandant – Chairman; (ii) Deputy Commandant or Assistant Commandant or Medical Officer from Other Central Industrial Security Force Office/ Unit – Member; (iii) Assistant Commandant of the Unit or Office – Member	Not applicable.

[No. E-32012/02/2018/ESTT.I]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.04.02 21:58:01 +05'30'